मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (नया प्रस्तावित नाम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान) के अन्तर्गत पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी की षष्टम बैठक

दिनांकः 30 जनवरी, 2017 का कार्यवृत्त

स्थानः मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के एनेक्सी स्थित सभाकक्ष में

समयः पूर्वान्ह 11:30 से 12:30 तक।

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अन्तर्गत पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी की षष्ठम बैठक दिनांक 30 जनवरी, 2017 को उनके एनेक्सी स्थित सभाकक्ष में सम्पन्न हुई।

बैठक में अधिकारियों की उपस्थिति निम्नवत् रही।

क्र0सं0	नाम	पदनाम	कार्यालय
1.	सर्वश्री राहुल भटनागर	मुख्य सचिव	उत्तर प्रदेश शासन।
2.	श्री प्रदीप भटनागर	कृषि उत्पादन आयुक्त	उत्तर प्रदेश शासन।
3.	श्री चंचल कुमार तिवारी	अपर मुख्य सचिव	पंचायती राज, उत्तर प्रदेश शासन।
4.	श्री दीपक त्रिवेदी	अपर मुख्य सचिव	ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
5.	श्री अजय चौहान	आयुक्त	खाद्य एवं रसद विभाग
6.	श्री कामरान रिज़वी	आयुक्त	ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
7.	श्री शशि भूषण लाल सुशील	सचिव	खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
8.	डॉ0 पिंकी जोवेल	विशेष सचिव	कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन
9.	श्री उदय भानु त्रिपाठी	विशेष सचिव	बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
10.	श्री ओंकार प्रसाद श्रीवास्तव	विशेष सचिव	वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
11.	श्री रमेश चन्द्र उत्तम	विशेष सचिव	सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
12.	श्री सुशील कुमार मौर्या	विशेष सचिव	पंचायती राज, उ0प्र0 शासन।
13.	श्री धीरज पाण्डेय	विशेष सचिव	राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
14.	सुश्री प्रीति शुक्ला	विशेष सचिव	लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
15.	श्री अरून मिश्रा	विशेष सचिव	आई0सी0डी0एस0, उ0प्र0 शासन।
16.	श्री शिशिर कुमार यादव	विशेष सचिव	रूरल इंजीनियरिंग विभाग, उ0प्र0।
17.	श्री एन0सी0 त्रिपाठी	ओ0एस0डी0 (विशेष सचिव)	नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
18.	श्री एम0बी0 सिंह	संयुक्त सचिव	आई0टी0 विभाग, उ0प्र0 शासन।
19.	श्री के0डी0 वर्मा	संयुक्त सचिव	समग्र ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
20.	श्री जोगेन्द्र प्रसाद	उपसचिव	पंचायती राज, उ0प्र0 शासन।
21.	श्री संजय शुक्ला	उप सचिव	लघु सिंचाई, उ0प्र0 शासन।
22.	श्री हरिशचन्द्र पाण्डेय	उप सचिव	खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।

23.	श्री कुलदीप कुमार रस्तोगी	अनुसचिव	खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
24.	श्री पवित्र कुमार	अनुसचिव	समग्र ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
25.	श्री अनिल कुमार दमेले	निदेशक	पंचायती राज विभाग
26.	डॉ0 ज्ञान प्रकाश	निदेशक	मेडिकल हेल्थ, उ0प्र0।
27.	श्री राजेन्द्र सिंह	अपर निदेशक	पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
28.	डॉ0 सी0एस0 यादव	अपर निदेशक (नियोजन)	पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
29.	श्री रामचन्द्र सिंह	अपर निदेशक	कृषि विभाग, उ0प्र0।
30.	श्री एस0के0 पटेल	संयुक्त निदेशक	पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
31.	श्री प्रवीण कुमार	उपमहाप्रबन्धक	यू0पी0एल0सी0, उ0प्र0।
32.	श्री केशव सिंह	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी	पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
33.	डॉ0 एन0पी0 मॉल	सीनियर रेसिडेन्ट ऑफिसर	कृषि विभाग, उ0प्र0।
34.	श्री विजय कुमार	पी0डी0	लघु सिंचाई, उ0प्र0 शासन।
35.	श्री एस0एन0 सिंह	उपनिदेशक(पं0)	पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
36.	श्री संजय कुमार बरनवाल	मण्डलीय उपनिदेशक(पं0)	लखनऊ मण्डल, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
37.	श्री गिरिश चन्द्र रजक	उपनिदेशक(पं0)	पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
38.	श्री योगेन्द्र कटियार	उपनिदेशक(पं0)	पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
39.	श्री राहुल सिंह	–	आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग।
40.	श्री प्रद्युम्न	–	आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग।
41.	श्री जितेन्द्र सिंह	–	आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग।

सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बैठक में निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु पर चर्चा हुई एवं निर्णय लिए गए–

एजेण्डा बिन्दु	बैठक में लिए गए निर्णय
एजेण्डा बिन्दु–1– ग्राम पंचायत विकास योजना की क्रियान्वयन प्रक्रिया का प्रस्तुतीकरण	

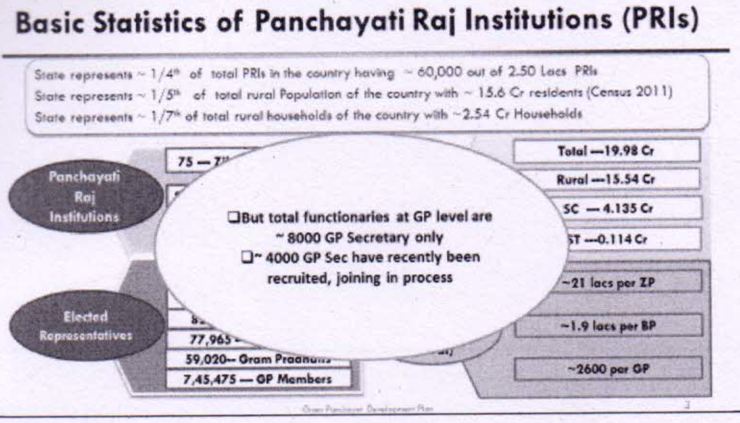

प्रदेश में पंचायती राज विभाग के आधारभूत आंकड़ों से पंचायती राज पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई।

Functions Devolved to Panchayats

- As per 73rd Constitutional Amendment Act, 29 functions may be devolved to PRIs
- In our State following functions/activities are devolved:

1. Operation and Maintenance of Rural Water Supply schemes.
2. Poverty alleviation programmes
3. Operation and Maintenance of rural market and fairs.
4. Maintenance and Supervision of 'D' category Veterinary Hospitals.
5. Welfare Programme for SC, ST and Other weaker sections – selection of pensioners & distribution of scholarships.
6. Food and Civil Supplies- supervision of PDS throughout the state including Jan Kerosene Programme
7. Mid-Day Meal
8. Rural Sanitation Programme.
9. Maintenance of assets created in Panchayat area
10. Youth Welfare programmes at village level
11. Rural Housing schemes- selection of beneficiaries
12. Verification of Inspection notes of CMOs and Dy. CMOs of CHCs and PHCs respectively, by Kshettra Panchayat Pramukhs and Gram Panchayat Pradhans respectively.
13. Minor irrigation-selection of beneficiaries
14. Maintenance of assets created under Sodic Land Reclamation Projects
15. Maintenance of seed stores, etc. to Kshettra Panchayats.

Gram Panchayat Development Plan 4

- 73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप पंचायतों को 29 कार्य हस्तांतरित किये गये है जिनमें से प्रदेश में ग्राम पंचायतों को 15 गतिविधियों से संबंधित कार्य हस्तांतरित किये जाने से पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई।

- समिति द्वारा जानकारी की दृष्टि से प्रश्न किया गया कि क्या ग्राम पंचायतें पंचयाती राज अधिनियम, 1947 के अंतर्गत प्रोफेशनल टैक्स लगा सकती है।
    - इसके सम्बन्ध में अन्य राज्यों एवं अपने प्रदेश की स्थिति का अध्ययन कर रिर्पोट प्रस्तुत करने के निर्देश समिति द्वारा प्रदान किये गये।

Background

- Increase in quantum of funds devolved to GPs under State Finance Commission (SFC)/Central FC (CFC)
- Under 14th FC, 100% funds are being devolved to GPs, No funding to KPs & ZPs
- **Rs 82 Lacs shall be an average fund flow to a GP under 14FC & 4th SFC over 5 years**
- Focus on plan & budget preparation by GPs; Monitoring of works & accounting of funds through indigenous online software applications viz. PlanPlus, ActionSoft, PRIASoft & m-Asset – **GoI intervention**
- Trend of fund flow to GPs under CFC & SFC is depicted below:

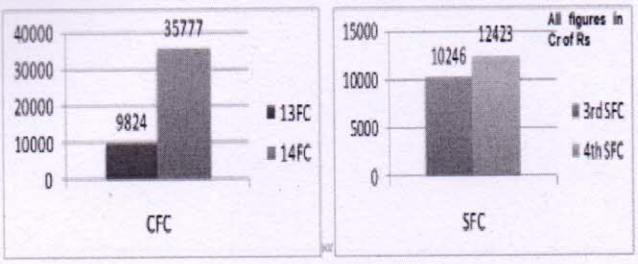

5

- ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त में रू0 9824 करोड से बढकर रू0 35777 करोड तथा चतुर्थ राज्य वित्त में रू0 10246 करोड से बढकर रू0 12423 करोड हस्तान्तरित होने वाली धनराशि से पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई।

- बैठक में पूछे गये प्रश्न कि क्या 14वें वित्त से ए.एन.एम. सेंटर में वज़न तौलने की मशीन आदि उपकरण भी खरीदे जा सकते है, पर समिति द्वारा बताया गया 14वें वित्त के शासनादेश संख्या: 234/33–3–2016–2/2016 दिनांक 18 फरवरी, 2016 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार ही ग्राम पंचायतों द्वारा किसी भी प्रकार का क्रय किया जा सकता है। अपितु उपकरण खरीदने का कार्य ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति (वी.एच.एस.एन.सी.) में उपलब्ध रू0 10,000 की धनराशि से किया जा सकता है।

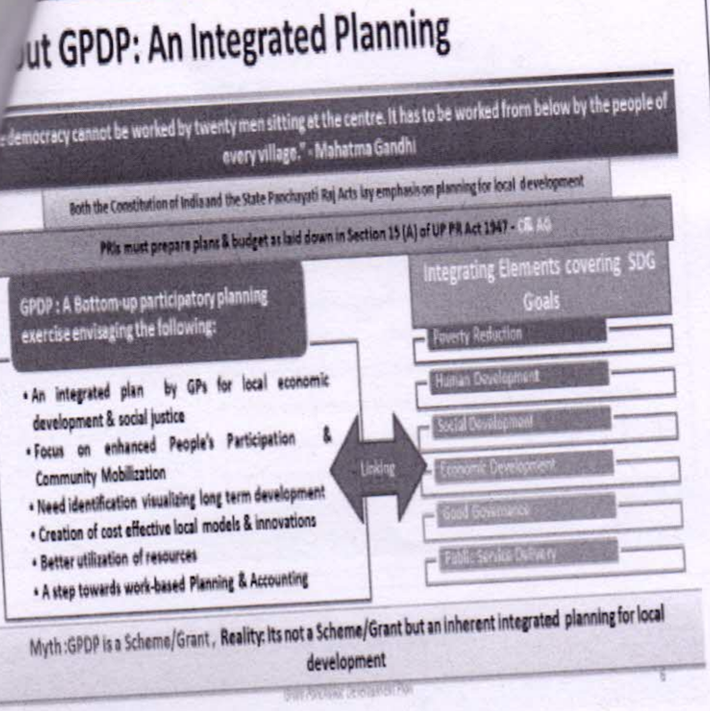

- ग्राम पंचायत विकास योजना के उद्देश्य तथा सतत् विकास के लक्ष्यों (**SDG-Sustainable Development Goal**) से समेकन के विषय पर पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई।
- समिति को अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित होने वाली धनराशि के बेहतर प्रबन्धन, उपयोग, पारदर्शिता एवं जनसहभागिता बनाये रखने हेतु प्रदेश में ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.)–"हमारी योजना हमारा विकास" को क्रियान्वित किया जा रहा है। ग्राम पंचायतें सहभागी नियोजन, समस्याओं/आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं प्राथमिकीकरण कर स्वयं की ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण कर रही है तथा वर्ष 2016–17 की जी.पी.डी.पी. का निर्माण कर ऑनलाइन अपलोड किये जाने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
- बैठक में 14वें वित्त आयोग तथा मनरेगा के अभिसरण के प्रश्न पर समिति को अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत विकास योजना में मनरेगा एवं 14वें वित्त आयोग के मात्र कार्यों का अभिसरण किया जाना है।

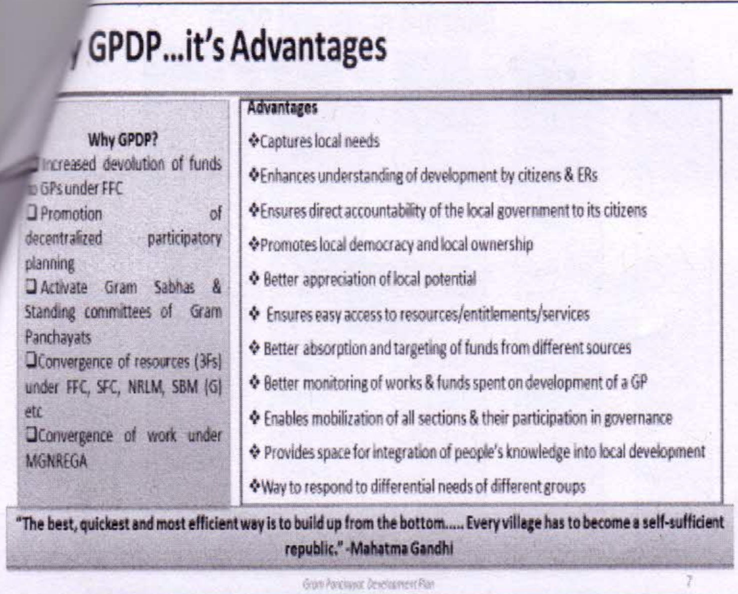

ग्राम पंचायत विकास योजना की आवश्यकता एवं योजना से होने वाले लाभ से पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई।

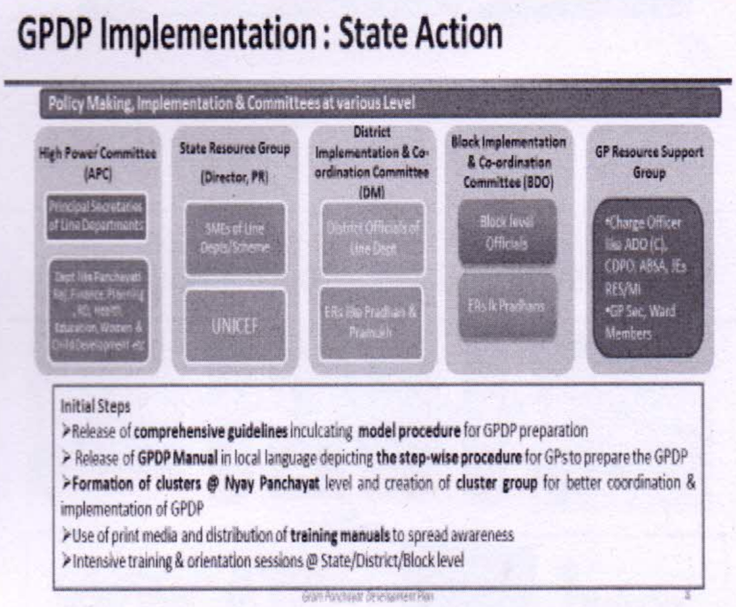

ग्राम पंचायत विकास योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु शासन स्तर से न्याय पंचायत स्तर तक गठित विभिन्न समितियों/समूहों पर पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई।

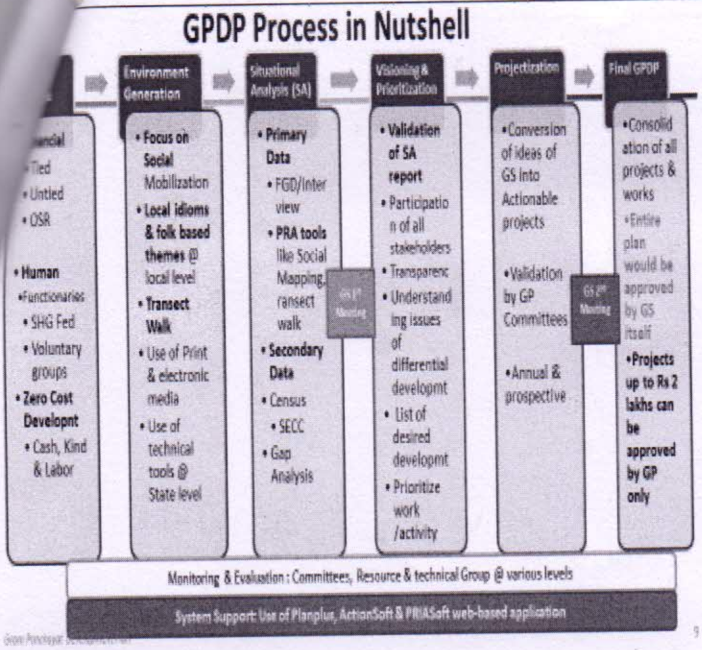

ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण की प्रक्रिया से पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई।

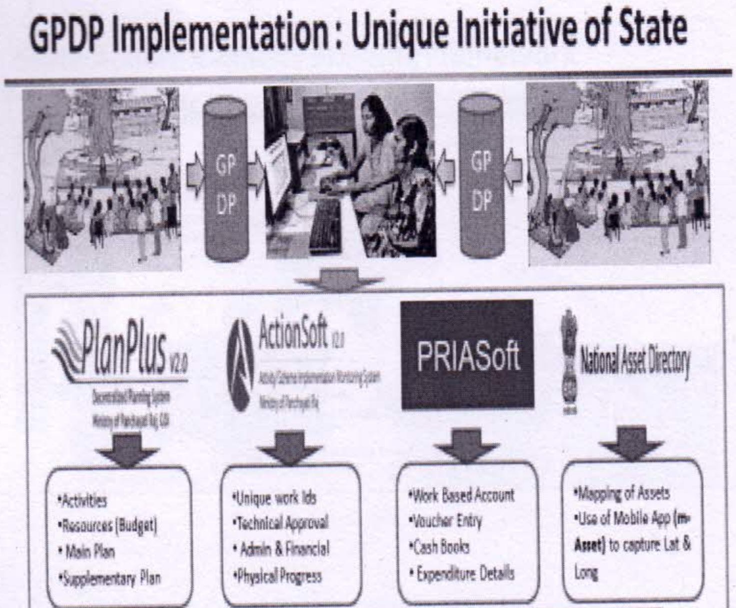

- ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण, बेहतर क्रियान्वयन, पारदर्शिता बनाये रखने एवं समस्त गतिविधियों को ऑनलाइन किये जाने हेतु उपयोग किये जा रहे चार सॉफ्टवेयर– प्लान–प्लस, एक्शन सॉफ्ट, प्रिया सॉफ्ट एवं नेशनल एसेट डायरेक्टरी से पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई।
- ग्राम पंचायत में उपस्थित चल–अचल सम्पत्तियों का विवरण नेशनल एसेट डायरेक्टरी में तथा उसके कोऑडिनेट्स मोबाइल के 'एम–एसेट' एप्लीकेशन के द्वारा अपलोड किये जा रहें है। इस विषय पर बैठक में पूछे गये प्रश्न कि परिसम्पत्ति के कोऑडिनेट्स अपलोड किये जाने के साथ–साथ उसे कितने वर्षों तक सुरक्षित रखा जायेगा इसका कोई प्राविधान सॉफ्टवेयर में किया गया है ? अनुमानतः कितने समय के बाद परिसम्पत्ति की मरम्मत अथवा उसका पुनः निर्माण का कार्य कराया जा सकता है ?
  - समिति को अवगत कराया गया कि

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
सॉफ्टवेयर में इस प्रकार का कोई प्राविधान नहीं है। प्राविधान कराने हेतु विभिन्न परिसम्पत्तियों के मापदंडों को राज्य स्तर से तय किये जाने के उपरान्त ही उसे सॉफ्टवेयर में जोडा जाना सम्भव होगा।

- बैठक में सुझाव दिया गया कि मनरेगा की भांति ग्राम पंचायत विकास योजना में लिये गये कार्यों के सापेक्ष 'प्रिया–साफ्ट' साफ्टवेयर में बुक किये जाने वाले व्यय को एफ.टी.ओ. **(FTO- Fund Transfer Order)** के माध्यम से कराये जाने पर विचार किया जाये।
    - समिति द्वारा एफ.टी.ओ. **(FTO- Fund Transfer Order)** की व्यवहार्यता का अध्ययन तथा अन्य राज्यों से मिलान करने के पश्चात् पृथक से प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत कराये जाने के निर्देश दिये गये।
</td>
</tr>
<tr>
<td>
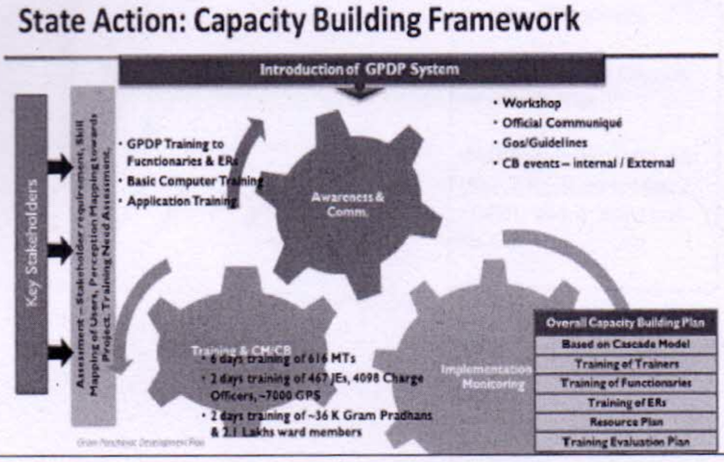

</td>
<td>
ग्राम पंचायत विकास योजना अन्तर्गत विभाग द्वारा राज्य से ग्राम पंचायत स्तर तक क्षमता विकास हेतु कराये गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों से पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई।
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>
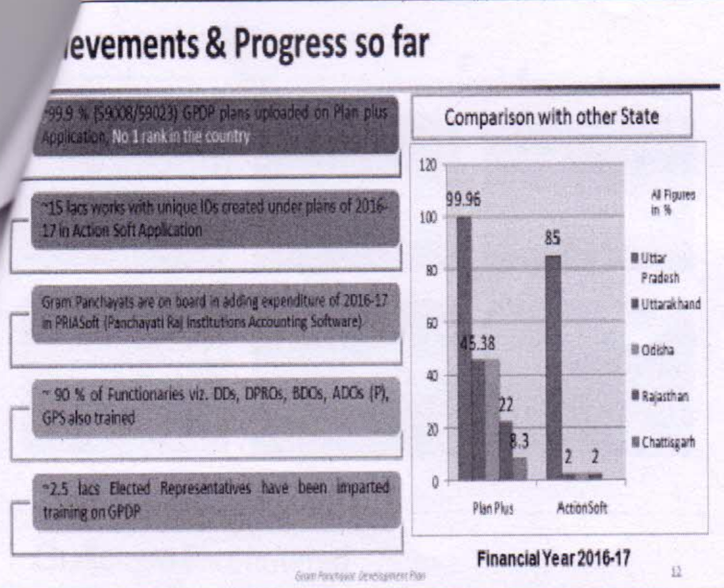

</td>
<td>
ग्राम पंचायत विकास योजना अन्तर्गत वर्ष 2016–17 की प्रगति तथा अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश की प्रगति पर पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई।
</td>
</tr>
<tr>
<td>
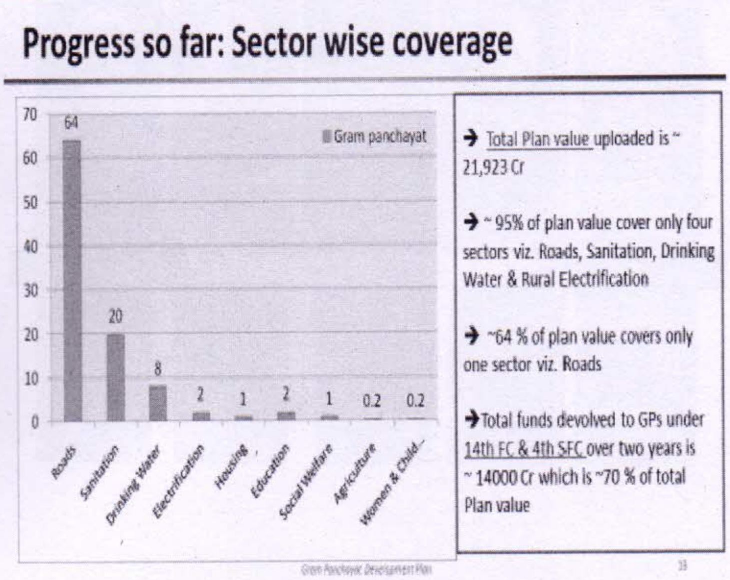

</td>
<td>

- ग्राम पंचायतों द्वारा 'प्लान–प्लस' सॉफ्टवेयर पर अपलोड किये कार्यों के सेक्टरवार विवरण पर पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई।
- सेक्टरवार अपलोड किये गये प्लान पर बैठक में प्रश्न किया गया कि क्या प्रत्येक सेक्टर हेतु किसी प्रकार की सीमा तय की गयी है।
    - प्रश्न के उत्तर में समिति द्वारा अवगत कराया गया कि सेक्टरवार सीमा तय न करके प्राथमिकता तय की गयी है जैसे 14वें वित्त के शासनादेश में पेयजल, स्वच्छता आदि को प्राथमिकता के तौर पर लिया जाना है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतें भी ग्राम सभा के बैठक में प्राथमिकता तय करते हुए कार्यों को ले सकती है।

</td>
</tr>
</table>

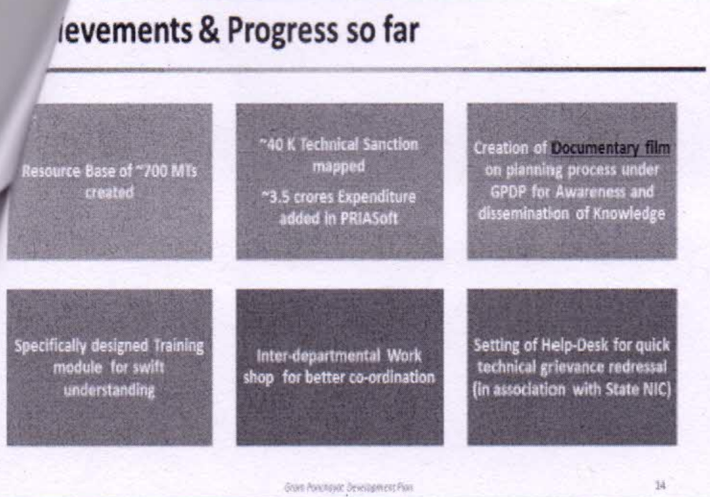

ग्राम पंचायत विकास योजना अन्तर्गत विभिन्न मदो में प्रगति एवं उपलब्धियों पर पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई।

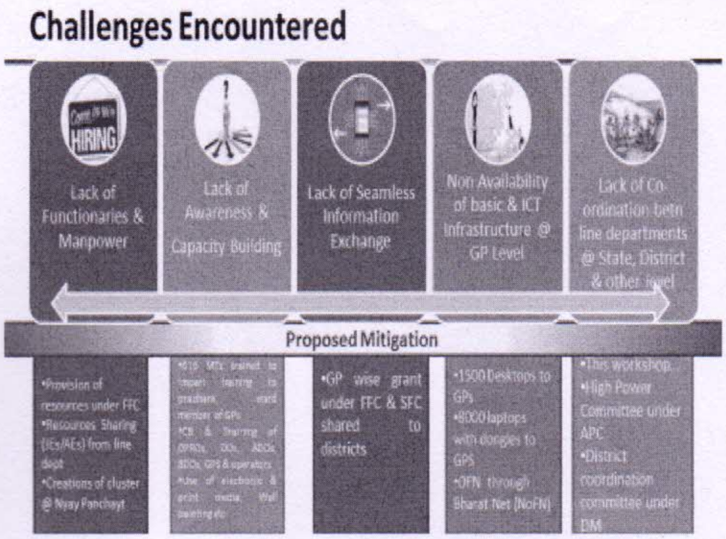

- ग्राम पंचायत विकास योजना के क्रियान्वयन के दौरान आयी चुनौतियों पर पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई।
- चुनौती के रूप में ग्राम पंचायत स्तर पर कर्मियों की कमी पर श्री चंचल कुमार तिवारी, अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन द्वारा बताया गया कि प्रदेश में कुल 59073 ग्राम पंचायतों की तुलना में स्वीकृत पदों की संख्या 16421 (8135–पंचायती राज विभाग एवं 8286 ग्राम्य विकास विभाग) है जिसमें भरे पदों की संख्या 12552 (7500–पंचायती राज विभाग एवं 5052 ग्राम्य विकास विभाग) है।

  इस प्रकार एक सचिव को 5–6 ग्राम पंचायतों का कार्य करना पड रहा है। ग्राम पंचायतों में जाने वाले बजट के बेहतर प्रबन्धन एवं उसके द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के उचित क्रियान्वयन हेतु आवश्यक है कि प्रत्येक दो ग्राम पंचायतों पर एक सचिव की उपलब्धता हो। इस प्रकार कुल स्वीकृत पदों 16421 तथा दो ग्राम पंचायतों पर एक सचिव की उपलब्धता के आधार पर कुल 32842 ग्राम पंचायतों पर ही उपलब्धता सुनिश्चित हो पा रही है। अन्य 26231 ग्राम पंचायतों हेतु 13116 सचिवों की आवश्यकता होगी।
- श्री प्रदीप भटनागर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को

	हस्तान्तरित बजट एवं कार्यों की दृष्टि से सचिवों की संख्या को बढाये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी। • कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 08–06–2012 को हुई बैठक के कार्यवृत (संलग्नक–1) में एजेण्डा बिन्दु 2 पर लिये गये निर्णय के क्रम में पंचायती राज विभाग द्वारा विभाग में ग्राम पंचायत अधिकारियों के स्वीकृत 8135 पदों के सापेक्ष रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही करते हुए 3683 ग्राम पंचायत अधिकारियों की भर्ती पूर्ण की जा चुकी है। उक्त से पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई। • उक्त कार्यवृत के एजेण्डा बिन्दु 1 पर लिये गये निर्णय के सापेक्ष 26231 ग्राम पंचायतों हेतु अवशेष 13116 सचिवों के पदों का अगले 03 वर्षों में प्रत्येक वर्ष एक तिहाई अर्थात प्रथम वर्ष में 4372 पदों वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड पे–रू0 1900 के सृजन का प्रस्ताव पंचायती राज विभाग द्वारा शासन को भेजे जाने पर पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए पृथक से प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
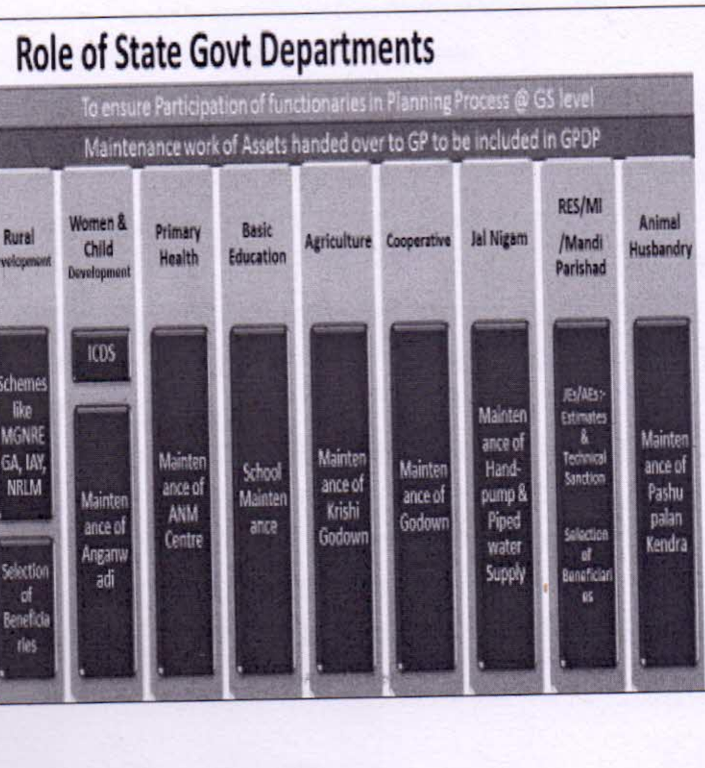	• ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण में संबंधित विभागों की भूमिका पर पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई। • अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना अन्तर्गत संबंधित विभागों द्वारा ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित परिसम्पत्तियों के रख–रखाव हेतु सम्भावित कार्यो की सूची पर विस्तार से बताया गया। चर्चा के उत्तर में संबंधित विभागों द्वारा ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित परिसम्पत्तियों के रख–रखाव संबंधित कार्यो को वर्ष 2017–18 की ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण में शामिल करने हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के

	स्तर से समस्त विभागों के प्रमुख सचिवों को निर्देश जारी किये जाने पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी। विभागों को जारी निर्देशों के क्रम में समस्त विभागों द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना संबंधि दिशा निर्देश अपने अधिकारियों को जारी किये जाने के निर्देश दिये गये। • समिति द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि सभी विभाग अपने अधिकारियों/कर्मियों को निर्देशित करें कि वह ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु आयोजित ग्राम सभा के बैठक में प्रतिभाग करें। ग्राम पंचायतों में उनके विभाग द्वारा सीधे तौर पर कराये जाने वाले कार्यों की जानकारी ग्राम सभा में दें। जिससे कि योजना बनाते समय कार्य दोहराये न जायें तथा ग्राम सभा स्वयं प्राथमिकता के आधार पर तय करे कि उन्हें किन कार्यों को स्वयं की योजना में शामिल किया जाना है।
Way Forward... ❑ Prompt Inter-departmental co-ordination through regular meeting @ State, district, block & GP levels ❑~ 3.5 Lakhs ward member training proposed to be completed this FY ❑ Kick-off for preparation of Annual plan (GPDP) of 2017-18 ❑ Provision of two JEs & a Computer Operator@ block level through outsourcing ❑ Provision of laptops for newly recruited Gram Panchayat Adhikari (~4000) ❑ Media Workshop & other awareness campaign proposed ❑ Better GPDP plans by GPs, who have been declared ODF following a CLTS approach, hence, it is proposed to replicate the model for GPDP as well. माननीय कमेटी के अवगतार्थ प्रस्तुत।	ग्राम पंचायत विकास योजना अन्तर्गत भविष्य में किये जाने वाले कार्यों से पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई।
एजेण्डा बिन्दु–2– अन्य बिन्दु– राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर समुदाय के सहयोग से ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु प्रस्ताव। ग्राम पंचायतों के समग्र विकास हेतु आवश्यक है कि ग्राम पंचायतें अपने स्वयं की विकास योजना सामुदायिक सहभागिता के साथ तैयार करें। राज्य से विकास खण्ड स्तर तक क्षमता विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजना पर	

रण निर्माण एवं प्रक्रिया पर समझ बनाने का किया गया है। परन्तु सबसे अधिक आवश्यकता ग्राम पंचायत स्तर पर ऐसे कर्मठ एवं सक्रिय लोगों चयन कर उन्हें संदर्भ व्यक्ति के तौर पर तैयार रना जो स्वयं ग्राम पंचायत में जाकर प्रचार–प्रसार करें तथा लोगों को प्रशिक्षित कर जी.पी.डी.पी. की प्रक्रिया के बारे में संवेदित करते हुए योजना तैयार करवायें। इसके लिए समिति के समक्ष निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत है–

. ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण की रणनीति

- सी.एल.टी.एस. की ट्रिगरिंग प्रक्रिया की भांति जी.पी.डी.पी. पर ग्राम पंचायत को ट्रिगर करने हेतु ग्राम प्रधान को रिर्सोस पर्सन के तौर पर तैयार करना।
- प्रत्येक विकास खण्ड से दो ग्राम प्रधानों का चयन कर राज्य स्तर पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित करना।

2. ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण कार्य का वित्तीय विवरण

क्र सं	मद	धनराशि (रू0 लाख में)
1.	प्रशिक्षण	
	राज्य स्तर पर 1702 (02 ग्राम प्रधान प्रत्येक विकास खण्ड से) ग्राम प्रधानों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण– 851x02x 03x1850	94.46
	प्रत्येक ग्राम पंचायतवार रू0 1000 मानदेय के रूप में– 1000x59073	590.73
	प्रत्येक ग्राम पंचायतवार रू0 250 यात्रा व्यय के रूप में– 250x59073	147.68
	कुल आवश्यक धनराशि	**832.87**
2.	विभिन्न गतिविधियों में अनुमोदित धनराशि	
	विकास खण्ड़ स्तरीय ग्राम प्रधान एवं सचिवों का ओ.एस.आर. पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	670.73
	न्याय पंचायत स्तर के कम्प्यूटर ऑपरेटरों का पी.ई.एस. एप्लीकेशन पर छः दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	366.07

अनुमोदित धनराशि को ग्राम प्रधानों को रिर्सोस पर्सन के रूप में तैयार किये जाने हेतु किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम मद में स्थानान्तरित करने संबंधी भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे जाने पर पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

कुल अनुमोदित धनराशि	1036.8	
अतः प्रस्ताव है कि योजनान्तर्गत वर्ष 2016--17 क्षमता विकास हेतु उक्त दो गतिविधियों में अनुमोदित धनराशि को ग्राम प्रधानों को रिर्सोस पर्सन के रूप में तैयार किये जाने हेतु किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम मद में स्थानान्तरित करने संबंधी भारत सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्ताव पर समिति निर्णय लेना चाहे। **माननीय समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत।**		

अंत में अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

चंचल कुमार तिवारी
अपर मुख्य सचिव।
सदस्य सचिव, पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी,
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान।

उ0प्र0 शासन
पंचायतीराज अनुभाग–3
संख्या–226/33–3–2017–60/2016
लखनऊः दिनांकः 09 फरवरी, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
2. स्टाफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन।
3. संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज, उ.प्र. शासन।
5. समस्त विभागों के प्रमुख सचिव, उ.प्र. शासन।
6. समस्त सदस्यगण, पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी।

(चंचल कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
सदस्य सचिव, पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी,
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान।